प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या–6/2869/2020–6/258/2022 लखनऊ दिनांक– 25 अगस्त, 2022

विषय–"मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना" के अन्तर्गत आश्रित परिवारों को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1390/33–3–2022 दिनांक 22 जुलाई, 2022(छायाप्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु के मामलों में मृतक के आश्रित परिवार/व्यक्ति को 10 लाख क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया हैं।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि मृतक के आश्रित परिवार/व्यक्ति को निर्धारित आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु पंचायतीराज विभाग वित्त की वेबसाइट http://prdfinance.up.gov.in पर सीधे आवेदन करने हेतु फार्म विकसित किया गया है। उक्त वेबसाइट पर मृतक के आश्रित परिवार द्वारा अपेक्षित सूचनाएं अंकित किये जाने के उपरान्त आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर इंगित हो जाता है। इंगित आवेदन का जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा परीक्षण कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उक्त पोर्टल पर अपलोड करते हुए धनराशि हस्तान्तरण हेतु आवेदन पंचायतीराज निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा। निदेशालय स्तर पर मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत गठित प्रकोष्ठ के स्तर से मृतक के आश्रित उत्तराधिकारी के उल्लिखित बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0–डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुमन्य धनराशि का हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है। मृतक के आश्रित व्यक्ति का उत्तराधिकारी होने का विधिक प्रमाण–पत्र एवं बैंक खाता का अभिलेख का नियमानुसार अनिवार्य रूप से परीक्षण करा लिया जाय, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः उक्त प्रकरण में जनपद स्तर से स्पष्ट संस्तुति करने के उपरान्त ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन की प्रमाणित प्रति(पी0डी0एफ फाईल में) पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट http://prdfinance.up.gov.in पर अपलोड करते हुए पंचायतीराज निदेशालय को अग्रसारित किया जाय, जिससे की मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 22 जुलाई, 2022 का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या–6/ — /1/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन

2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

5–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वांछित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

संख्या–6/2869/2020–6/258/2022 लखनऊ दिनांक–25 अगस्त, 2022

विषय–"मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना" के अन्तर्गत आश्रित परिवारों को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1390/33–3–2022 दिनांक 22 जुलाई, 2022(छायाप्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु के मामलों में मृतक के आश्रित परिवार/व्यक्ति को 10 लाख क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया हैं।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि मृतक के आश्रित परिवार/व्यक्ति को निर्धारित आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु पंचायतीराज विभाग वित्त की वेबसाइट http://prdfinance.up.gov.in .पर सीधे आवेदन करने हेतु फार्म विकसित किया गया है। उक्त वेबसाइट पर मृतक के आश्रित परिवार द्वारा अपेक्षित सूचनाएं अंकित किये जाने के उपरान्त आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर इंगित हो जाता है। इंगित आवेदन का जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा परीक्षण कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उक्त पोर्टल पर अपलोड करते हुए धनराशि हस्तान्तरण हेतु आवेदन पंचायतीराज निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा। निदेशालय स्तर पर मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत गठित प्रकोष्ठ के स्तर से मृतक के आश्रित उत्तराधिकारी के उल्लिखित बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0–डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुमन्य धनराशि का हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है। मृतक के आश्रित व्यक्ति का उत्तराधिकारी होने का विधिक प्रमाण–पत्र एवं बैंक खाता का अभिलेख का नियमानुसार अनिवार्य रूप से परीक्षण करा लिया जाय, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः उक्त प्रकरण में जनपद स्तर से स्पष्ट संस्तुति करने के उपरान्त ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन की प्रमाणित प्रति(पी0डी0एफ फाईल में) पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट http://prdfinance.up.gov.in पर अपलोड करते हुए पंचायतीराज निदेशालय को अगसारित किया जाय, जिससे की मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 22 जुलाई, 2022 का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या–6/2869/1/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासनं

2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

5–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वांछित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुज कुमार झा)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या-1390/33-3-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0, लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग - 3 लखनऊ दिनांक-22 जुलाई, 2022

विषय:- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-27.04.2014 में पारित निर्णय "Identity the families of all persons who have died in sewerage work (manholes, septic tanks) since 1993 and award compensation of Rs. 10 lakhs for each such death to the family members depending on them" के अनुपालन में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश-12 एम0एस0/ क0नि0प्र0/26-3-2018-17(47)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-07.12.2018 के क्रम में सीवर/ सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रु0 की तत्काल राहत प्रदान किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पंचायतीराज विभाग को उत्तरदायी बनाया गया है। इस हेतु मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1- कोष का नाम: मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना।

2- **मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना का उद्देश्य:-** मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालित किया जायेगा।

3- **मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना से आश्रितों को दिये जाने वाली धनराशि की सीमा:-**

सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को कुल 10 लाख रु0 की सहायता प्रदान की जायेगी।

4 - **आवेदन की प्रक्रिया:-**

(1) मृतक के आश्रित व्यक्ति/परिवार द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना पोर्टल पर

सीधे आवेदन किया जायेगा अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा, जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पोर्टल पर फीड कराया जायेगा।

(2) मृतक के आश्रित/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फीज किया जायेगा।

(3) पोर्टल पर आश्रित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिंन आई0डी0 से डाउनलोड कर परीक्षणोंपरान्त पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जिन प्रकरणों में जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया गया है। उनमें जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त सीधे समस्त प्रपत्र उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी के स्वीकृत के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र को अपने लॉगिंन आई0डी0 से निदेशक पंचायतीराज को धनराशि हस्तान्तरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

5– धनराशि प्राप्त हेतु आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखः–

(1) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति।

(2) मृत्यु प्रमाण–पत्र, उत्तराधिकार/परिवार जन प्रमाण–पत्र।

(3) ग्राम प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु का प्रमाण–पत्र जिसकी पुष्टि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं0) से करा ली जायेगी।

6–राज्य स्तर से धनराशि का हस्तान्तरणः–

(1) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्युं के आश्रित/परिवार के द्वारा किये गये आवेदन को जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के अग्रसारित किये जाने के उपरान्त निदेशालय के मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना प्रकोष्ठ द्वारा डाउनलोड किया जायेगा।

(2) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्युं के आश्रित के द्वारा किये गये आवेदन को पोर्टल से डाउनलोड करने के उपरान्त धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट किये जाने के लिए निदेशक पंचायतीराज से अनुमोदन/स्वीकृति लिया जायेगा।

(2) निदेशक पंचायतीराज के अनुमोदनोपरान्त उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 टीम द्वारा पी0एफ0एम0एस0–डी0बी0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित आश्रित व्यक्ति के खाते में धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट की जायेगी।

(3) नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग एवं निदेशक पंचायतीराज द्वारा पी0पी0ए0 पर हस्ताक्षर उपरान्त मात्राकृत धनराशि आवेदक के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(4) धनराशि के हस्तान्तरण उपरान्त आवेदक के मो0 नं0 पर सीधे सूचित करते हुए हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि हस्तान्तरण की सूचना से अवगत कराया जायेगा।

7– मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना का बजट मदः–

- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के बजट व्यवस्थाएं हेतु 1.5 करोड़ रु0 की धनराशि हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित हैं। आवश्यकता होने पर निदेशक पंचायतीराज की मांग के अनुरुप अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जायेगी।
- राज्य स्तर पर MANUAL SCAVENGER MRITYU CHHATIPURTI YOJNA के नाम से नोडल अधिकारी राज्य वित्त एवं निदेशक पंचायतीराज के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत ख़ाता खोला जायेगा, जिसमें उक्त धनराशि संरक्षित की जायेगी। इस खाते में प्राप्त ब्याज को भी मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना में अन्तरित धनराशि माना जायेगा।

8– निदेशालय स्तर पर मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना प्रकोष्ठ स्थापित किया जानाः–

सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के आश्रित व्यक्ति/परिवार हेतु सहायता धनराशि दिये जाने हेतु गठित कोष के क्रियान्वयन व संचालन हेतु पंचायतीराज निदेशालय में मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा, जिसके प्रभारी नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग होंगे। प्रकोष्ठ में समस्त कार्यवाही के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सहायक की तैनाती की जायेगी। प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सहायक की योग्यता इण्टरमीडिएट तथा 01 साल के कम्प्यूटर कोर्स अनिवार्य होगा। किसी शासकीय विभाग/पब्लिक सेक्टर में 03 वर्ष व अधिक के कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सहायक का मानदेय 25,000 रु0 समस्त कर अतिरिक्त निर्धारित किया जाता है।

9– मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु तकनीकी व प्रशासनिक व्यय का प्राविधानः–

मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के प्राप्त आवेदनों को समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही करने व सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सम्बन्धित आश्रित को निर्धारित धनराशि के भुगतान हेतु, राज्य स्तर पर स्थापित अनुश्रवण प्रकोष्ठ में उक्त कार्य पर लगने वाले आवश्यक व्यय हेतु प्रत्येक वर्ष में मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के प्राविधानित धनराशि में से 05 लाख रू0 की धनराशि तकनीकी व प्रशासनिक मद हेतु मात्राकृत किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग मानदेय, कम्प्यूटर क्रय, स्टेशनरी तथा यात्रा व्यय आदि पर किया जायेगा। व्यय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 होंगे।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Manoj 22.7.22
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22/7/22
(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव।